

उजवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना— विद्युत क्षेत्र के संकट का समाधान?

जयपुर, 10 नवम्बर, 2015।

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में उजवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की घोषणा क्या वास्तव में बिजली क्षेत्र में फैले संकट को दूर करने में कामयाब हो सकेगी? विद्युत वितरण क्षेत्र विद्युत चोरी से उपजे संकट व नुकसान तथा प्रसारण व वितरण के दौरान होने वाली तकनीकी हानियों से बढ़ते घाटे आदि के तनाव को क्या 'उदय' जैसी योजनाएं तनावमुक्त कर पायेगी? 'कट्स' महामंत्री प्रदीप एस महता द्वारा उक्त चिंता व्यक्त की गई।

वर्ष 2011-12 में डिस्कॉम में बढ़ता घाटा 2.4 लाख करोड़ से वर्ष 2014-15 में 4.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इन सबके बावजूद बैंकों द्वारा उनके घाटे की भरपाई जारी है।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार घाटे की पूर्ति में सबसे बड़ी चुनौती करीब 23 प्रतिशत प्रसारण व वितरण संबंधित तकनीकी नुकसान की है, जो कि खराब संचालन व निरीक्षण व्यवस्था के परिणामस्वरूप है।

दूसरी सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा नियामक व्यवस्था की असफलता जो कि सभी नियामक संस्थाएं कुल मिलाकर सरकारी व्यवस्था के अधीन ही कार्य कर रही हैं, जिससे कि निष्पक्ष रूप में कार्य करना उनके स्वयं के लिए चुनौती बन गया है।

उपरोक्त वर्णित दोनों चुनौतियों का समाधान यही है कि वितरण कंपनियों के प्रबन्धकों पर साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाकर कार्य करवाया जाए तथा वहीं नियामक संस्थाओं को सरकारी तंत्र से मुक्त कर स्वतन्त्र रूप से कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाए। नियामक आयोगों की स्वतन्त्रता के बारे में नीति आयोग ने रेगुलेटरी रिफॉर्म बिल में भी उल्लेख किया है।

'उदय' योजना के अन्तर्गत वे राज्य जिन्होंने गत दो वर्षों में डिस्कॉम के लिए 75 प्रतिशत से ज्यादा का कर्ज लिया है, वे उनके समानान्तर बॉण्ड जारी कर सकते हैं तथा यह योजना अगले दो-तीन वर्षों में सफल होने पर इन डिस्कॉमों को काफी हद तक कर्ज से मुक्ति दिला सकती है।

योजना के अन्तर्गत डिस्कॉमों की संचालन कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु प्रावधान, तकनीकी हानियों से होने वाले नुकसानों तथा कर्ज से बढ़ते ब्याज कम करने के सुझाव दर्शाये गये हैं। हालांकि उपरोक्त सभी समाधान तभी संभव हैं, जब 'उदय' योजना सफलता की राह पर चले।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

उदय एस महता

मो.: 98292 85926, ईमेल: usm@cuts.org